

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-अप्रैल, 2012 सत्र
दैनिक कार्य सूची
शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी, 2012 (फाल्गुन 5, 1933)
समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा -

- (क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 185 (2) (डी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2010-2011, तथा
- (ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार :-
- (i) एम.पी. पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन (वित्त वर्ष 2010-11),
- (ii) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11,
- (iii) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए,
- (iv) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2010-11 (दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक), तथा
- (v) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त अवधि हेतु)

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड एवं दतिया में नील गायों द्वारा फसल नष्ट किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, मंदसौर जिले में गलघोटू नामक बीमारी से पशुओं की मौत होने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी जिले के-

- (क) महानदी के संगम स्थल पर बराज बनाये जाने,
- (ख) सुतरी से खैरभार मार्ग में उमरार नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,
- (ग) बरही मार्ग से दडौरी तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (घ) खितौली बरनमटगवाँ मार्ग से हदरहटा पहुंच मार्ग तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (ङ.) कन्नौर से जाजागढ़ तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (च) बगैहा, कुठिया, महंगवा मार्ग पर सड़क निर्माण कराये जाने, तथा
- (छ) बिचपुरा मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(2) श्री मोहन शर्मा, सदस्य, राजगढ़ जिले के-

- (क) नरसिंहगढ़ को पर्यटक स्थल का दर्जा दिलाये जाने,
- (ख) कुरावर में नवीन शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,
- (ग) ग्राम चौका, निपात्यागढ़ी महुआ की माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (घ) ग्राम बेजड़ एवं बमोरा जागीर के मध्य नदी पर स्टापडेम निर्माण कराये जाने, तथा
- (ड.) झाड़ला, जामौन्या, गौपचौहान के हाईस्कूलों का उन्नयन किये जाने,

(3) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, भोपाल शहर के नरेला अन्तर्गत रेल्वे कोच फैक्ट्री से ओवर ब्रिज होते हुये न्यू मार्केट तक स्टार बस सुविधा प्रदान किये जाने ,

(4) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम पंचायत चांदाखेड़ी में आंगनवाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण कराये जाने,
के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

“यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर , रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की सभा (कोर्ट) के लिये विधान सभा के सदस्यों में से आठ-आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों. ”.

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा

“राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.”.

निर्धारित
समय

7. अशासकीय संकल्प

1 घन्टा

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

“यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि बुन्देली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाय.”

30 मि.

(2) श्री नरेन्द्र त्रिपाठी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

“यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जबलपुर से मुम्बई चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाया जाय.”

1 घन्टा

(3) सर्वश्री ध्रुवनारायण सिंह, विश्वास सारंग, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

“सदन का यह मत है कि सोशल नेटवर्किंग साईट पर विभिन्न धर्मों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ भारत सरकार द्वारा एक अत्यधिक कड़ा कानून शीघ्र बनाया जाना चाहिये.”

भोपाल :
दिनांक : 23 फरवरी, 2012

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा